



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वा, 7वा एवं 8वा तल, टावर-बी, वर्क्ड एंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 478 / टीएल / 2024

दिनांक: 20.1.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पारविड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब हिंस्टीट्यूशनल परिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा विनियमित टैरिफ तत्र (आरटीएम) मोड के अधीन पारेषण योजनाओं अर्थात् "मैसर्स एनटीपीसी रीन्यूएवल एनर्जी लि. के 500 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन" और "765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर देशराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. (डीएसईपीएल) के 300 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 220 केवी लाइन बे के 01 नंबर और मैसर्स सनबीज रीन्यूएवल्स नाइन प्रा. लि. (एसआरझीएल) (02 नंबर बे) के 1400 मेगावाट आरपीपीडी और मैसर्स एमआरएस बिल्डिंग्जन प्रा. लि. (एमबीपीएल) (01 नंबर बे) के 1000 मेगावाट आरपीपीडी के अंतरसंयोजन के लिए 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर के कार्यान्वयन" (जिसे इसके पश्चात 'पारेषण परियोजना' कहा गया है) के लिए पारविड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड को पृथक आरटीएम पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्रम जिसके लिए पारेषण अनुज्ञापि की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

(क) सीटीयूआईएल द्वारा दिनांक 13.09.2024 के ओएस द्वारा प्रदान किया गया "मैसर्स एनटीपीसी रीन्यूएवल एनर्जी लि. के 500 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर 220 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन"। विस्तृत कार्य-क्रेत्र निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्रेत्र	क्षमता / किलोमीटर	कार्यान्वयन की समय-सीमा
1	मैसर्स एनटीपीसी रीन्यूएवल एनर्जी लि. (एनटीपीसी-आरईएल) के 500 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर 02 नंबर 220 केवी लाइन बे के 02 नंबर का कार्यान्वयन"	220 केवी लाइन बे - 2 नंबर	31.12.2025

कुल अनुमानित लागत: ₹.11.14 करोड़

(ख) सीटीयूआईएल द्वारा दिनांक 23.10.2024 के ओएस द्वारा प्रदान किया गया "765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर मैसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. (डीएसईपीएल) के 300 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 220 केवी लाइन बे के 01 नंबर और मैसर्स सनबीज रीन्यूएवल्स नाइन प्रा. लि. (एसआरझीएल) (02 नंबर बे) के 1400 मेगावाट आरपीपीडी और मैसर्स एमआरएस बिल्डिंग्जन प्रा. लि. (एमबीपीएल) (01 नंबर बे) के 1000 मेगावाट आरपीपीडी के अंतरसंयोजन के लिए 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर के कार्य-क्रेत्र निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पारेषण योजना का कार्य-क्रेत्र	क्षमता / किलोमीटर	कार्यान्वयन की समय-सीमा
1	मैसर्स देशराज सोलर एनर्जी प्रा. लि. (डीएसईपीएल) के 300 मेगावाट आरईजीएस के अंतरसंयोजन के लिए 765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर 1 नंबर 220 केवी लाइन बे के 01 नंबर का कार्यान्वयन"	220 केवी लाइन बे - 1 नंबर	31.03.2026
2	मैसर्स सनबीज रीन्यूएवल्स नाइन प्रा. लि. (एसआरझीएल) (02 नंबर बे) के 1400 मेगावाट आरपीपीडी एवं मैसर्स एमआरएस बिल्डिंग्जन प्रा. लि. (एमबीपीएल) (01 नंबर बे) के 1000 मेगावाट आरपीपीडी के अंतरसंयोजन के लिए 765 / 400 / 220 केवी बीकानेर-॥। पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर	400 केवी लाइन बे (सबल टाई बे के साथ) - 3 नंबर	22.08.2026

कुल अनुमानित लागत: ₹. 50.09 करोड़

- सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इडिया लिमिटेड ने दिनांक 18.12.2024 के अपने पत्र के आधार से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु संस्कृत किया है।
- रिकॉर्ड में उल्पलब्ध समाप्ती के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 478 / टीएल / 2024 में दिनांक 20.1.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में व्यापोलिंगित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पारविड बीकानेर नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समझ किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निवारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुभव में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 4.2.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 6.2.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वाविकार से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डाएर नहीं हस्ता/— (हरप्रीत सिंह पुर्थी) सचिव